

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- / 2015/XXVII(9)/यूओ0-05/स्टाम्प/2015
देहरादून दिनांक: 27 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना/आदेश

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उद्यम स्थापना हेतु राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू-स्वामियों से उनकी भूमि लीज पर लेने अथवा कच करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभाय स्टाम्प शुल्क में उत्तराखण्ड सूदन, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015 में वर्णित प्राधिकानानुसार छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त छूट उद्यम स्थापना से इतर उद्योग में लागू नहीं होगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- 205 (1)/ 2015/XXVII(9)/यूओ0-05/स्टाम्प/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि.

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के राज्ञानाथ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. गण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 100 प्रतियां वित्त अनुभाग-9 में उपलब्ध करा दें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(बी0डी0 बलवालं)
अनु सचिव।